सं.1(3)/2008-संस्था-II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2012 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 20 अप्रैल, 2012 के समसंख्यक का.ज्ञा. का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जिसके तहत केन्द्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों के संबंध में 01.01.2012 से महंगाई भत्ता संशोधित किया गया है जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार **संशोधन-पूर्व वेतनमानों** में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2012 से मौजूदा 139 प्रतिशत से बढ़कर 151 प्रतिशत हो जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

अ. शर्मा

(अनिल शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

(ii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) को प्रति अग्रेषित।